

Proposal No. : FP/UP/ROAD/121197/2021

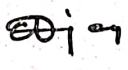
Diversion of P.F. Land for Construction of Choudhary Charan Singh Kavadi Marg on RHS side Shoulder of Upper Ganga Canal from Km Ch. 51.910 To Km Ch. 163.40 (Km Ch. 51.910 To Km Ch. 108.750 in District Muzaffarnagar) in district- Muzaffarnagar, Meerut, Ghaziabad in state of UP

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रयुक्त होने वाली संरक्षित वन भूमि वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश दिनांक— 18.03.2010 में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र।

- 1— प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग मेरठ, द्वारा चौधरी चरण सिंह, कावड मार्ग की दायीं पट्टी (कि०मी० चैनैज 51.910 से 108.750 तक) हेतु कुल—113.68 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव मेरे द्वारा प्रेषित किया गया है।
- 2— प्रमाणित किया जाता है कि विषयक प्रस्ताव में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रिटेल आउटलेट के पहुंच मार्ग में प्रयुक्त होने वाली वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश दिनांक—18.03.2010 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करने हेतु वचनबद्ध हूँ।
- 3— वन विभाग द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन करने हेतु वचनबद्ध हूँ।

प्रतिहस्ताक्षरित


(सूरज)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


(अजय भास्कर)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1
लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर


(सी०पी०सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन)
लो०नि०वि० मेरठ
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन)
लो. नि. वि. मेरठ